"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 75] रायपुर, सोमवार, दिनांक 4 मार्च 2013—फाल्गुन 13, शक 1934

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-09/2012/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 24 की उप-धारा (3) सहपठित धारा 85 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में निम्नलिखित और संशोधन करती है जिसे उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 14 के उप-नियम (1) के खण्ड (आठ) के परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु यह भी कि कोई भवन जो 30 मीटर से अधिक या दस मंजिल से अधिक (स्टिल्ट पार्किंग हेतु 2.4 मी. ऊंचाई को छोड़कर) ऊंचा हो, की दशा में, कोई भी अनुज्ञा यथास्थिति, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी निम्नलिखित स्थल अनुमोदन समिति द्वारा दी गई अभिव्यक्त अनुमति पर ही प्रदान की जायेगी, अन्यथा नहीं, अर्थात् :—"

2. नियम 42-क के खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"कोई भवन जो 30 मीटर से अधिक या दस मंजिल से अधिक (स्टिल्ट पार्किंग हेतु 2.4 मी. ऊंचाई को छोड़कर) ऊंचा हो, के लिये स्थल अनुमोदन समिति से नियम 14 के उप-नियम (1) के तृतीय परन्तुक के अधीन स्थल अनापत्ति आवश्यक होगी. समिति द्वारा स्थल अनापत्ति के पश्चात् प्राधिकारी से निवेश अनुज्ञा तथा भवन अनुज्ञा आवश्यक होगी."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलेक्स पॉल मेनन, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2013

क्रमांक एफ 7-09/2012/32.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में संशोधन संबंधी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04-03-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलेक्स पॉल मेनन, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 4th March 2013

NOTIFICATION

No. F 7-09/2012/32.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Bhumi Vikas Niyam, 1984, the same having been previously published as required by sub-section (1) of Section 85 of the said Adhiniyam, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. For proviso to clause (viii) of sub-rule (1) of rule 14, the following shall be substituted, namely :—

"Provided also that in the case of a building which is more than 30 meters or ten stories high (exclusive of stilt parking of 2.4m height) no permission shall be given save with express clearance given by the following site clearance committee, as the case may be, consisting of the following members, namely :—"

2. For clause (d) of rule 42-A, the following shall be substituted, namely :—

"For any building which is more than 30 meters or ten stories high (exclusive of stilt parking of 2.4 m height) site clearance from site clearance ommittee under third proviso to sub-rule (1) of rule 14 shall be necessary. After the site clearance by the committee, the planning permission and building permission form the Authority shall be necessary."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ALEX PAUL MENON, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.